जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 29.01.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा वारण्टी नाम पता सुर्यप्रताप उर्फ सुरज पाण्डेय पुत्र अश्वनी कुमार पाण्डेय निवासी गौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 अमित कुमार कुशवाहा, का0 राहुल कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 5994 द्वारा मारपीट में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल**–* पीआरवी 5994 थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत नेतारी से मारपीट में 01 महिला ज्योति मौर्या पत्नी धर्मराज मौर्या ग्राम नेतारी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल महिला को 108 एम्बुलेस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी0 मेहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल को ईलाज सीएचसी0 मेहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 हरिओम यादव,आ0 प्रशांत यादव, हो0चा0 अवधेश त्रिपाठी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 71 वाहनों से 1,04,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 71 वाहनों से 1,04,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 82/2025 धारा 85/80(2) व 3/4 डी0पी0 एक्ट मे वांछित अभियुक्त हसमुद्दीन पुत्र गयासुद्दीन निवासी अमरकोईल थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को बेलवा सेगर से रुधौली जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नतिनी को दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित व मार पीट कर रहे थे दहेज की मांग पूरी न करने पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 27.01.2025 को हत्या कर दिया गया था, जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला संबन्धी अपराध गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा हुए उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक 29.01.2025 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः-* प्रभारी निरीक्षक सूश्री सरोज शर्मा,** उ0नि0 श्री अर्जुन प्रसाद, हो0का0 शम्स तबरेज सिद्दीकी, का0 राकेश कुमार गोंड़ ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 02 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में आज दिनांक 29.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 02 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये । थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया । संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 82/2025 धारा 85,80(2) बीएनएस 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम मे वांछित अभियुक्त पवन पुत्र सुखारी निवासी इमलडीहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नातिनी को दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित कर रहे थे दहेज की मांग पूरी न करने पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 27.01.2025 को वादी की नातिनी की हत्या कर दिया गया था जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला संबन्धी अपराध घटित होने पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक 29.01.2025 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजकुमार पटेल, हे0का0 रामभवन गुप्ता ।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप लज्जा भंग व मारपीट के मामले में अभियुक्त को 03 साल का कारावास व कुल 5500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 29.01.2025 को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 743/2010 धारा 316,323,354,504,506 व 3(2)v एससीएसटी एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता झिन्नान पुत्र रामफेर यादव निवासी चकिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के अन्तर्गत धारा 323 भा0दवि0 में 06 माह के कारावास तथा 500 रु0 अर्थदण्ड, धारा 504 भा0द0वि में 01 वर्ष कारावास तथा 1000 रु0 अर्थदण्ड, धारा 506 भा0द0वि में 01 वर्ष कारावास तथा 1000 रु0 अर्थदण्ड, धारा 354 भादवि के मामलें में 03 वर्ष कारावास तथा 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। पीड़िता को अर्थदण्ड की आधी राशि प्रदान की जाएगी।

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के मामले में 04 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व कुल 82,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 29.01.2025 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1594/2017 धारा 148,302/149,323/149,307/149,325/149 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. सुदामा पुत्र श्याम लाल 02. दीनानाथ मौर्या पुत्र रामचरन 03. रामअशीष मौर्या पुत्र घोलई 04. राजमन मौर्या पुत्र रामसिधारे निवासीगण कैनाला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण सुदामा, दीनानाथ, रामअशीष व राजमन को धारा 148 भादवि के अपराध के लिये 02-02 वर्ष के कारावास, धारा 323/149 भादवि के अपराध के लिये 06-06 माह के कारावास व 500-500 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा व धारा 302/149 भादवि के अपराध के लिये आजीवन कारावास व 20000-20000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जायेगा। सभी सजाए साथ-साथ चलेगी।